पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1188
दिनांक-17.07.2026

जोन-पूर्वी/थाना-बीबीडी

ऑपरेशन "Cy-Vajra" के अंतर्गत साइबर सेल पूर्वी ज़ोन एवं साइबर हेल्प डेस्क थाना बीबीडी की संयुक्त कार्रवाई में म्यूल बैंक खाते संचालित करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

- **अभियुक्त द्वारा संचालित म्यूल बैंक खातों पर देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज कुल 49 साइबर शिकायतों में लगभग ₹15.06 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी का खुलासा हुआ।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 03 लैपटॉप, 05 मोबाइल फोन, 01 EDC मशीन, 03 पेन ड्राइव, विभिन्न बैंकों की पासबुक, चेकबुक, एटीएम/डेबिट कार्ड, बैंकिंग दस्तावेज, पहचान पत्र एवं ₹15,000/- नकद बरामद किए गए।**
- **अभियुक्त विदेशी मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से साइबर अपराधियों के संपर्क में रहकर कमीशन के आधार पर बैंक खाते उपलब्ध कराता था।**

01-संक्षिप्त विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित **"ऑपरेशन Cy-Vajra"** के अंतर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं म्यूल बैंक खातों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में उच्चाधिकारीगण के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए म्यूल अकाउंट डेटा के सत्यापन एवं तकनीकी विश्लेषण के दौरान साइबर सेल पूर्वी ज़ोन एवं थाना बीबीडी की साइबर हेल्प डेस्क की संयुक्त टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक **16.07.2026** को तकनीकी साक्ष्यों एवं बैंक खातों के सत्यापन के आधार पर **सौरभ कालरा** को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ एवं डिजिटल विश्लेषण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त अपने तथा अपने परिजनों के बैंक खातों को साइबर अपराधियों को कमीशन के आधार पर उपलब्ध कराता था। इन खातों में साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि जमा कराई जाती थी, जिसमें से अभियुक्त लगभग **10 प्रतिशत कमीशन** अपने पास रखकर शेष धनराशि नकद अथवा अन्य माध्यमों से आगे हस्तांतरित कर देता था।

पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा विदेशी **के मोबाइल नंबरों** से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लगातार बातचीत होती थी तथा उन्हीं के निर्देशानुसार बैंक खातों का संचालन एवं लेन-देन किया जाता था।

जांच के दौरान अभियुक्त से संबंधित **इंडसइंड बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा** के खातों पर **देश के विभिन्न राज्यों से कुल 49 साइबर शिकायतें (32+17)** दर्ज होना पाया गया। **एनसीआरपी पोर्टल** के अनुसार इन शिकायतों में लगभग **₹15.06 करोड़** (₹11.07 करोड़ + ₹3.98 करोड़) की साइबर धोखाधड़ी होना प्रकाश में आया।

अभियुक्त के विरुद्ध थाना बीबीडी पर **मु0अ0सं0 220/2026** धारा **61(2)/317(2)/318(4) बीएनएस एवं धारा 66C आईटी एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं नेटवर्क के संबंध में विस्तृत जांच जारी है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-सौरभ कालरा पुत्र स्व. रवि कालरा, निवासी फ्लैट नं. 504, ऑर्किड-5 अपार्टमेंट, ओमेगा ग्रीन, रामस्वरूप कॉलेज के सामने, थाना बीबीडी, लखनऊ

03-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 220/2026 धारा 61(2)/317(2)/318(4) बीएनए व धारा 66C आईटी एक्ट थाना बीबीडी लखनऊ

04-बरामदगी:-

- ₹15,000/- नकद।
- 05 मोबाइल फोन (Samsung Galaxy M53, Samsung, Poco, Motorola एवं Redmi)।
- 03 लैपटॉप।
- इंडसइंड बैंक की 01 EDC मशीन।
- 03 पेन ड्राइव।
- विभिन्न बैंकों की पासबुक, चेकबुक एवं बैंकिंग दस्तावेज।
- विभिन्न बैंकों के एटीएम/डेबिट कार्ड।
- आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज।

05-गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

थाना बीबीडी टीम	*सर्विलांस/साइबर सेल पूर्वी जोन*
रामसिंह प्रभारी निरीक्षक बीबीडी	उ0नि0 अमरनाथ चौरसिया
उपनिरीक्षक सोनू राजपूत	हे0का0 संदीप पाण्डेय
महिला उपनिरीक्षक सोनम राणा	का0 तरनजीत सिंह
कांस्टेबल अंकित गंगवार	का0 अजय यादव
चालक मनोज कुमार	का0 प्रदीप कुमार
	का0 विमल चन्द्र पाल
	का0 दलबीर सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1189
दिनांक-17.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना- बी0के0टी

- **थाना बक्शी का तालाब पुलिस एवं औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में नकली दवाइयाँ बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।**
- **स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले नकली दवा कारोबार पर थाना बक्शी का तालाब पुलिस एवं औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में नकली औषधियाँ बरामद ।**

01- संक्षिप्त विवरण

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मुख्यालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश भर में नकली एवं अधोमानक औषधियों के भंडारण, परिवहन एवं क्रय-विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना बक्शी का तालाब पुलिस एवं औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर तैयार की जा रही नकली औषधियों की बड़ी खेप बरामद की है।

दिनांक 16 जुलाई 2026 को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर थाना बक्शी का तालाब पुलिस द्वारा किसान पथ, मामपुर खड़ंजा मार्ग पर संदिग्ध ओमनी वैन संख्या UP32BW7091 को रोककर जांच की गई। वाहन से भारी मात्रा में औषधियाँ बरामद होने पर औषधि विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। संयुक्त जांच के दौरान वाहन में रखी औषधियों के संबंध में कोई वैध औषधि लाइसेंस अथवा बिल-वाउचर प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

औषधि निरीक्षक श्री विवेक कुमार सिंह, श्री सन्देश मौर्य, श्री राहुल कुमार एवं श्रीमती अनीता कुरील द्वारा मौके पर औषधियों का परीक्षण किया गया। जांच के दौरान प्रसिद्ध ब्रांडों की निम्न औषधियाँ बरामद हुईं—

- Rubired 200 ml – 246 बोतल
- ALKASOL Sugar Free 100 ml – 1,063 बोतल
- Mucaine Gel 200 ml – 848 बोतल

कुल 2,157 बोतल औषधियाँ, जिन्हें वर्षा के कारण 13 प्लास्टिक की बोरियों में सील कर सुरक्षित किया गया।

जांच के दौरान ALKASOL Sugar Free के निर्माता प्रतिनिधियों द्वारा कंट्रोल सैंपल से तुलना करने पर लेबल, कैप, प्रिंटिंग, लोगो एवं अन्य सुरक्षा विशेषताओं में गंभीर अंतर पाए गए तथा बरामद दवा को स्प्यूरियस (नकली) प्रमाणित किया गया। इसी प्रकार Mucaine Gel के लेबल पर भी कई गंभीर त्रुटियाँ पाई गईं, जिससे प्रथम दृष्टया उसके भी नकली होने की पुष्टि हुई। अन्य औषधियाँ भी संदिग्ध पाए जाने पर उनके नमूने नियमानुसार जांच एवं विश्लेषण हेतु संग्रहित किए गए।

पूछताछ में मौके से पकड़े गये व्यक्ति भूपेन्द्र सिंह पुत्र रामकिशन सिंह, निवासी बाजार गांव पकरा, थाना माल, जनपद लखनऊ ने बताया कि उक्त दवाइयाँ राज विक्रम सिंह एवं विनीत सिंह की हैं तथा वह उनके कहने पर इन्हें अमीनाबाद पहुंचाने जा रहा था। अभियुक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए किसान पथ, मामपुर खड़ंजा मार्ग, थाना बक्शी का तालाब से समय रात्रि 10.03 बजे गिरफ्तार किया गया ।

इस संबंध में थाना बक्शी का तालाब पर मु0अ0सं0 278/2026 धारा 318(4), 319(2), 276, 277 एवं 278 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए जुर्म स्वीकार किया गया है ।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 278/2026 धारा 318(4)/319(2)/276/277/278 भारतीय न्याय संहिता (BNS) थाना बीकेटी, लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र रामकिशन सिंह, निवासी बाजार गांव पकरा, थाना माल, लखनऊ उम्र 33 वर्ष

वांछित अभियुक्त

1. राज विक्रम सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह, निवासी रायपुर बाबू, थाना महिगवां, जनपद लखनऊ।
2. विनीत सिंह नाम पता अज्ञात

05-बरामदगी -

13 प्लास्टिक की बोरियों में सील की गई कुल 2,157 बोतल संदिग्ध/स्प्यूरियस (नकली) औषधियाँ, जिनमें—

- Rubired 200 ml – 246 बोतल
- ALKASOL Sugar Free 100 ml – 1,063 बोतल (दो बैच)
- Mucaine Gel 200 ml (Mint Flavour) – 848 बोतल
- ओमनी वैन संख्या UP32BW7091

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम

थाना बीकेटी पुलिस टीम	औषधि विभाग टीम
1. उपनिरीक्षक श्री अशोक कुमार यादव	1. श्री विवेक कुमार सिंह – औषधि निरीक्षक, लखनऊ
2. उपनिरीक्षक श्री शैलेन्द्र मिश्रा	2. श्री सन्देश मौर्य – औषधि निरीक्षक, लखनऊ
3. का0 दिलीप कुमार	3. श्री राहुल कुमार – औषधि निरीक्षक, मुख्यालय
	4. श्रीमती अनीता कुरील – औषधि निरीक्षक, जनपद सीतापुर

डीसीपी उत्तरी सर क्राइम/सर्विलांस टीम

1.स्वाट/सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि दीपक कुमार
2. हे0का0 अवधेश गिरी
3. हे0का0 नदीम
4. हे0का0 संतोष कुमार
5. हे0का0 अमित कुमार गौतम
6. का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह
7. का0 विशेष दुहूण
8. का0 अमन शुक्ला

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1184
दिनांक-17.07.2026

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नेरट लखनऊ

आपरेशन CYVAJRA के अन्तर्गत क्राइम ब्रांच लखनऊ पुलिस की कार्यवाही : अमेरिकन नागरिको से ठगी करने वाले 07 नफर साइबर अपराधी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन "CYVAJRA" के क्रम में, पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर के निर्देशन, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के पर्यवेक्षण तथा पुलिस उपायुक्त, अपराध श्री अनिल कुमार यादव के मार्गदर्शन एवं अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध श्रीमती किरन यादव (IPS) के नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्त साइबर सेल सुश्री शाहिदा नसरीन, क्राइम ब्रांच के साइबर थाना एवं साइबर सेल, कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा एक महत्वपूर्ण एवं सुनियोजित कार्रवाई करते हुए थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र स्थित ओमेक्स R-02 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में संचालित एक संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर के विरुद्ध सफलतापूर्वक कार्यवाही किया गया। इस कार्रवाई में ऐसे संगठित साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है, जो तकनीकी संसाधनों एवं इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी कर रहा था। कार्यवाही के दौरान कुल 07 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा साइबर अपराध में प्रयुक्त बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए।

01-कार्यवाही–

क्राइम ब्रांच लखनऊ के साइबर क्राइम थाना व साइबर क्राइम सेल द्वारा दिनांक 17.07.2026 को, **थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र स्थित ओमेक्स R-02 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट** में संचालित एक संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर के विरुद्ध सफलतापूर्वक कार्यवाही किया गया। इस कार्रवाई में ऐसे संगठित साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है, जो तकनीकी संसाधनों एवं इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी कर रहा था। कार्रवाई के दौरान **कुल 07 नफर अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया तथा साइबर अपराध में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए।

02-अपराध का संक्षिप्त विवरण

साईबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान **ऑपरेशन "CYVAJRA"** के क्रम में, साईबर अपराधियों को पकड़ने व अवैध कॉल सेन्टरों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में, विभूतिखण्ड थाना क्षेत्र में साईबर क्राइम टीम द्वारा छापे मारी की गयी। क्राइम ब्रांच की साइबर क्राइम सेल व थाना साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा LOCAL CRIMINAL INPUT पर कार्यवाही करते हुए **थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र स्थित ओमेक्स R-02 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट** संचालित एक संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर विरुद्ध सफलतापूर्वक कार्य किया गया। इस कार्रवाई में ऐसे संगठित साइबर गिरोह का खुलासा हुआ है, जो तकनीकी संसाधनों एवं इंटरनेट आधारित कॉलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर विदेशी नागरिकों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नागरिकों को निशाना बनाकर साइबर धोखाधड़ी कर रहा था।

कार्रवाई के दौरान कुल 07 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा साइबर अपराध में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। **जिसके क्रम में थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0 81/2026 धारा 3(5),61(2),318(4),319(2),336(3),337, 338,340(2) बीएनएस व 66सी, 66डी आईटी एक्ट, पंजीकृत हुआ है।**

03-साइबर ठगी का तरीका (Modus Operandi)

विवेचना एवं प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त गिरोह पूर्णतः सुनियोजित, तकनीकी रूप से सक्षम एवं संगठित तरीके से अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध को अंजाम दे रहा था। कॉल सेंटर का संचालन आधुनिक इंटरनेट आधारित संचार प्रणाली (VoIP Calling), विशेष कॉलिंग सॉफ्टवेयर, उच्च गति इंटरनेट, लैपटॉप, आईफोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा था। गिरोह द्वारा विदेशी नागरिकों, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के नागरिकों का डाटा प्राप्त कर उन्हें लक्षित किया जाता था। प्रारम्भिक स्तर पर अभियुक्तों द्वारा पीडितो के लैपटॉप/PC में मैलवेयर/वायरस भेजा जाता था और पॉपअप जेनरेट कराया जाता था जिसमे इनके टोल फ्री नंबर प्रदर्शित होते थे जिसपर पीड़ित के कॉल करने पर उन्हें माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट व साइबर सिक्योरिटी का प्रतिनिधि बनकर बातचीत करते थे ।पीड़ितों को यह विश्वास दिलाया जाता था कि उनके बैंक खाते, डिजिटल वॉलेट, ऑनलाइन भुगतान अथवा व्यक्तिगत पहचान (Identity) से संबंधित गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण उनके विरुद्ध वित्तीय अथवा कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जब पीड़ित मानसिक रूप से भयभीत हो जाता था, तब कॉल को अगले स्तर पर स्थानांतरित किया जाता था, जहाँ स्वयं को साइबर सिक्योरिटी व Federal Trade Commission (FTC), का अधिकारी बताकर पीड़ित पर और अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता था। उसे बताया जाता था कि उसके बैंक खाते अथवा Social Security Number का उपयोग गंभीर अपराधों में किया गया है तथा यदि तत्काल निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उसके विरुद्ध गिरफ्तारी अथवा अन्य कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विश्वसनीयता स्थापित करने के उद्देश्य से अभियुक्तों द्वारा गूगल से एडिट किया हुआ Identity Theft Report, FTC Letter, Investigation Report, Non-Disclosure Agreement (NDA) सहित अन्य कूटरचित दस्तावेज तैयार कर ई-मेल के माध्यम से पीड़ितों को भेजे जाते थे। इन दस्तावेजों का स्वरूप वास्तविक सरकारी अभिलेखों के समान तैयार किया जाता था, जिससे पीड़ित आसानी से धोखे में आ जाए।

04-कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली

जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि कॉल सेंटर का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो रहा था प्रत्येक कर्मचारी को उसकी भूमिका के अनुरूप अलग-अलग टीम में नियुक्त किया गया था तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से संचालित होती थी। Dialer Team का कार्य संभावित पीड़ितों से प्रथम संपर्क स्थापित करना तथा उन्हें माइक्रोसॉफ्ट की तकनीकी सहायता अथवा वित्तीय समस्या का विश्वास दिलाना था। यह टीम प्रारंभिक बातचीत कर पीड़ित का विश्वास अर्जित करती थी। फिर पीडितो के लैपटॉप / PC का एक्सेस टीम व्यूअर व अल्ट्रा व्यूअर से ले लेते थे फिर उनकी वित्तीय जानकारी प्राप्त कर वालमार्ट व अमेज़न का गिफ्ट कार्ड खरीदते थे और जिस पीड़ित से बड़ी धनराशी प्राप्त करनी होती थी उनसे कैशमैन के माध्यम से अमेरिका में दिए गए पते पर पार्सल भिजवाकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से नकदी/सोने का पिकअप कराते थे।

05-गिरोह द्वारा अपनाई गई भर्ती एवं प्रचार पद्धति

गिरोह द्वारा विभिन्न राज्यों से कर्मचारियों की भर्ती की जाती थी, जिनमें अधिकांश को बीपीओ (BPO) क्षेत्र का पूर्व अनुभव था, ताकि अमेरिकी नागरिकों से धाराप्रवाह अंग्रेज़ी में संवाद स्थापित किया जा सके। भर्ती किए गए स्टाफ के रहने की व्यवस्था (आवास) फर्जी कंपनी द्वारा स्वयं की जाती थी। जांच में यह भी सामने आया कि यह फर्जी कंपनी, स्टाफ के साथ किसी प्रकार का औपचारिक नियुक्ति पत्र, अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) अथवा अन्य कोई दस्तावेज़ नहीं रखती थी।

06-अवैध धनराशि का लेन-देन

प्रारंभिक जाँच में यह भी ज्ञात हुआ कि गिरोह पीड़ितों से प्राप्त धनराशि को सीधे बैंक खातों में न लेकर Gift Card, डिजिटल वाउचर एवं Cryptocurrency के माध्यम से प्राप्त करता था।

ऐसा करने का उद्देश्य धन के वास्तविक स्रोत एवं अंतिम लाभार्थी को छिपाना तथा जांच एजेंसियों के लिए वित्तीय ट्रेल को जटिल बनाना था। प्रारंभिक जांच से संकेत प्राप्त हुए हैं कि अवैध धनराशि को विभिन्न डिजिटल माध्यमों से स्थानांतरित कर आगे उपयोग किया जाता था।

07-प्राप्त डिजिटल साक्ष्य

कार्रवाई के दौरान बरामद इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की प्रारंभिक जांच में इंटरनेट आधारित कॉलिंग सॉफ्टवेयर, Eyebeam Dialer, कॉलिंग स्क्रिप्ट, विदेशी नागरिकों का डेटा, ई-मेल टेम्पलेट, फर्जी सरकारी दस्तावेज, नकली कोर्ट ऑर्डर, Identity Theft Report, FTC Letter, Non-Disclosure Agreement तथा साइबर अपराध से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल सामग्री प्राप्त हुई। प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर इस संगठित साइबर नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों, तकनीकी सहयोगियों, वित्तीय लेन-देन, सर्वर, ई-मेल खातों एवं अन्य डिजिटल माध्यमों की विस्तृत जांच की जा रही है, जिससे पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

08-अनावरण किये गये अभियोग का विवरण-

1- मु0अ0सं0 81/2026 धारा 3(5),61(2),318(4),319(2),336(3),337,338,340(2) बीएनएस व 66सी, 66डी आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट लखनऊ

09-बरामदगी का विवरण-

➢ 08 अदद लैपटॉप	➢ 09 अदद मोबाइल फोन
➢ 02 अदद कम्प्यूटर माउस	➢ 01 अदद बाल आउट
➢ 09 अदद हेडफोन	➢ 04 अदद वाई-फाई/इंटरनेट राउटर
➢ 05 अदद लैपटॉप चार्जर	

10-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान कुल 07 व्यक्तियों को विधिक प्रक्रिया के अनुसार गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सभी व्यक्तियों की भूमिका साइबर कॉल सेंटर के संचालन, विदेशी नागरिकों से संपर्क स्थापित करने, फर्जी दस्तावेजों के उपयोग तथा साइबर धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधियों में पाई गई।

01-पनीत कुमार वर्मा उम्र 34 वर्ष पुत्र चन्द्रकान्त नि0-सी-901, करडावती, थाना नारोल जनपद अहमदाबाद गुजरात हाल पता टावर न0 21, फ्लैट नम्बर 901 ओमेक्स आर-02, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ शिक्षा – 6वी पास

02-मोहम्मद सोहेल उम्र 29 वर्ष पुत्र मौ० सलाम, नि० - 23/2A, मियाजन ओस्तागर लेन, थाना कडाया (Karaya) कोलकाता पं0.बंगाल हाल पता टावर नं0 21, फ्लैट नम्बर 901 ओमेक्स आर-02, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ शिक्षा – 8वी पास

03-मोहम्मद शाहनवाज आलम उम्र- 29 वर्ष पुत्र शमशाद आलम नि०- 26/1, जी.जे. खान रोड, थाना तिलजला नार्थ 24 परगना कोलकाता , हाल पता टावर नं0 21, फ्लैट नम्बर 901 ओमेक्स आर-02, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ शिक्षा – 12वी पास

04-मो0 इमरान उम्र 26 पत्र स्व० मोहम्मद असगर, नि०- 71/8, नारकेल डागा थाना - नारकेल डागा, नार्थ 24 परगना कोलकाता पं0बंगाल हाल पता- टावर हाल पता- टावर नं0 21, फ्लैट नम्बर 901 ओमेक्स आर-02, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ शिक्षा – 6वी पास

05-मो० रियाज उम्र 35 वर्ष पुत्र मो० सिराज, नि०-46, इस्माइल स्टेट, थाना इटाली कोलकाता पं0बंगाल- हाल पता टावर नं0 21, फ्लैट नम्बर 901 ओमेक्स आर-02, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ शिक्षा – 12वी पास

06-दीपेन चंद्र कान्त पटेल उम्र 41 वर्ष पुत्र स्व० हीराभाई पटेल, नि०- A 406, अनमोल रत्न अपार्टमेंट, न्यू नरोड़ा, थाना नरोड़ा, अहमदाबाद, गुजरात हाल पता टावर न0 21, फ्लैट नम्बर 901 ओमेक्स आर-02, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ शिक्षा – 10वी पास

7.सज्जाद हुसैन उर्फ सरफराज उम्र 27 वर्ष पुत्र शाहआलम निवासी - 1/59 घोस बगान लेन कोलकाता, पश्चिम बंगाल हाल पता- टावर न0 21, नं0 फ्लैट नम्बर 901 ओमेक्स आर-02, थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ शिक्षा – 12वी पास

11-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक आलोक राव, थाना साइबर क्राइम, लखनऊ
2. प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह, साइबर सेल, लखनऊ
3. निरीक्षक शमीम सिद्दकी, थाना साइबर क्राइम, लखनऊ
4. निरीक्षक पंकज कुमार, थाना साइबर क्राइम, लखनऊ
5. निरीक्षक शैनेन्द्र सिंह, थाना साइबर क्राइम, लखनऊ
6. उ०नि० सैय्यद हसन आदिल, साइबर सेल, लखनऊ
7. उ०नि० ऋषि विवेक, थाना साइबर क्राइम, लखनऊ
8. उ०नि० रोहित पवार, थाना साइबर क्राइम, लखनऊ
9. उ०नि० रजत कौशिक, थाना साइबर क्राइम, लखनऊ
10. म०उ०नि० आकांक्षा, थाना साइबर क्राइम, लखनऊ
11. हे०का० धीरेन्द्र, साइबर सेल, लखनऊ
12. हे०का० शमशाद, साइबर सेल, लखनऊ
13. हे०का० शिववीर, साइबर सेल, लखनऊ
14. हे०का० देवकी नन्दन, साइबर सेल, लखनऊ
15. का० धनीश, थाना साइबर क्राइम, लखनऊ
16. का० गोविन्द, थाना साइबर क्राइम, लखनऊ
17. का० वैभव नैन, थाना साइबर क्राइम, लखनऊ
18. का० विशाल, थाना साइबर क्राइम, लखनऊ
19. म०का० प्रियंका शाक्य, थाना साइबर क्राइम, लखनऊ
20. म०का० प्रिया नायक, थाना साइबर क्राइम, लखनऊ

नोटः श्रीमान पुलिस उपायुक्त अपराध द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25 हजार रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

12-साइबर अपराध अपीलः-

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा की गई यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी उपलब्धि है। इस कार्रवाई से एक ऐसे सुव्यवस्थित साइबर नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है, जो आधुनिक तकनीकी संसाधनों का दुरुपयोग कर विदेशी नागरिकों को संगठित रूप से आर्थिक धोखाधड़ी का शिकार बना रहा था। समयबद्ध एवं पेशेवर पुलिस कार्रवाई के परिणामस्वरूप इस नेटवर्क के संचालन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है, जो विवेचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

प्रकरण में प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, डिजिटल डाटा एवं तकनीकी तथ्यों का विशेषज्ञों द्वारा गहन विश्लेषण कराया जा रहा है। विवेचना के दौरान प्राप्त प्रत्येक तथ्य के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों, वित्तीय लाभार्थियों, तकनीकी सहयोगियों तथा संभावित अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय कड़ियों का पता लगाकर उनके विरुद्ध भी विधि सम्मत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

कमिश्नरेट लखनऊ साइबर अपराधों के विरुद्ध **Zero Tolerance Policy** के तहत पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। भविष्य में भी इस प्रकार के संगठित साइबर अपराधों के विरुद्ध तकनीकी दक्षता, प्रभावी खुफिया सूचना एवं विधिक प्रावधानों का समुचित उपयोग करते हुए कठोर एवं निर्णायक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, ताकि नागरिकों का डिजिटल परिवेश अधिक सुरक्षित एवं विश्वासपूर्ण बनाया जा सके।

सुरक्षित रहें • सतर्क रहें • साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूक बनें

- पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0 -1186
दिनांक 17.07.2026

जोन – मध्य / थाना – हुसैनगंज

- **शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले 01 आरोपी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही -

थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0118/2026 धारा 69/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त मो0 दाउद उर्फ शीबू पुत्र स्व0 मो0 मारुफ निवासी- 5ए बाबा की बगिया नियर दीप होटाल हुसैनगंज उम्र करीब 42 वर्ष को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण -

थाना हुसैनगंज पर शिकायतकर्ता / वादिनी के द्वारा यह सूचना दी गयी कि प्रतिवादी मो0 शीबू उर्फ मो0 दाउद द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना हुसैनगंज पर मु0अ0सं0 0118/2026 धारा 69/351(3) बीएनएस पंजीकृत हुआ।

पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाई करते हुये अभियुक्त मो0 दाउद उर्फ शीबू पुत्र स्व0 मो0 मारुफ निवासी- 5ए बाबा की बगिया नियर दीप होटाल हुसैनगंज उम्र करीब 42 वर्ष को थाना हुसैनगंज के बाहर से दिनांक 16.07.2026 समय करीब 20.32 बजे गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

03-अनावरित अभियोग -

01-मु0अ0सं0 0118/2026 धारा 69/351(3) बीएनएस थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-मो0 दाउद उर्फ शीबू पुत्र स्व0 मो0 मारुफ निवासी- 5ए बाबा की बगिया नियर दीप होटाल हुसैनगंज उम्र करीब 42 वर्ष।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
2. व0उ0नि0 श्रीराम गौतम, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
3. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
4. हे0का0 आशीष शुक्ला, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1185
दिनांक 17.07.2026

जोन – मध्य / थाना – हुसैनगंज

- **थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर चोर/ अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार व 01 नफर बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किया गया 01 अदद वोल्टास एसी आउटडोर बरामद।**

01 - कार्यवाही –

आज दिनांक 17.07.2026 को थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0115/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.फराज खाँन पुत्र मो0 वकील खाँन निवासी म0नं0 61/53 हाता ख्वाजा गौहर थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष 2.अमान अंसारी पुत्र सगीर अहमद निवासी म0नं0 61/64 हाता ख्वाजा गौहर थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा 01 नफर बाल अपचारी को संरक्षण / अभिरक्षा में लिया गया, जिनके कब्जे से चोरी का माल बरामद हुआ है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 14.07.2026 को शिकायतकर्ता / वादी मुकदमा श्री प्रवेश कुमार पुत्र श्री रवि किशोर निवासी 739 डूडा कालोनी नरपत खेडा लखनऊ द्वारा यह सूचना दी गयी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के हेड आफिस की छत से ए.सी. का आउटडोर चोरी कर ली है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0115/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ।

घटना के सफल अनावरण हेतु गठित पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज एवं स्थानीय सूचना तंत्र के आधार पर प्रभावी सुरागरसी-पतारसी की गई। इसके क्रम में दिनांक 17.07.2026 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में अभियुक्तगण 1.फराज खाँन पुत्र मो0 वकील खाँन निवासी म0नं0 61/53 हाता ख्वाजा गौहर थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष 2.अमान अंसारी पुत्र सगीर अहमद निवासी म0नं0 61/64 हाता ख्वाजा गौहर थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार तथा 01 नफर बाल अपचारी को स्थान राम लीला मैदान पुराना किला के पास संरक्षण / अभिरक्षा में लिया गया है जिनके कब्जे से 01 अदद वोल्टास एसी आउटडोर बरामद किया गया है अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

03-अनावरित अभियोग -

1. मु0अ0सं0 0115/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।

04-बरामदगी का विवरण -

1. 01 अदद वोल्टास एसी आउटडोर।

05-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-फराज खाँन पुत्र मो0 वकील खाँन निवासी म0नं0 61/53 हाता ख्वाजा गौहर थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र 20 वर्ष।

02-अमान अंसारी पुत्र सगीर अहमद निवासी म0नं0 61/64 हाता ख्वाजा गौहर थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र 20 वर्ष।

- एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
2. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
3. उ0नि0 चन्द्रप्रकाश, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
4. हे0का0 आशीष शुक्ला, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ .
5. का0 राघवेन्द्र, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
6. का0 बालकेश, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1192
दिनांक- 17.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना- मडियांव

- **थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा ऑटो ई-रिक्शा में बैठाकर राहगीरों से लूट व चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 01 अभियुक्त गिरफ्तार व दो बाल अपचारी किशोर संरक्षण में।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से लूट एवं चोरी के 02 अदद मोबाइल फोन, घटना से संबंधित रू0 3,100 नकद तथा घटना में प्रयुक्त ऑटो ईरिक्शा बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

कमिश्नरेट लखनऊ के थाना मड़ियांव पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 16.07.2026 को एक सक्रिय लूट/ चोरी करने वाले गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार तथा दो किशोरों को संरक्षण में लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से लूट एवं चोरी के 02 अदद मोबाइल फोन, घटना से संबंधित रू0 3,100 नकद तथा घटना में प्रयुक्त ऑटो ई-रिक्शा बरामद किया है।

दिनांक 16.07.2026 को थाना मडियांव पुलिस टीम अपराधियों की तलाश एवं संदिग्ध व्यक्ति/ वाहन चेकिंग के दौरान भिटौली तिराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि पूर्व में ऑटो से लूट की घटनाओं में संलिप्त संदिग्ध युवक आईआईएम रोड स्थित सर्विस लेन के पास एक नीले रंग के ऑटो में किसी वारदात की फिराक में मौजूद हैं। मुखबिर खास की सूचना पर त्वरित कारवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा मौके पर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर ऑटो सवार व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया।

पूछताछ में तीनों ने स्वीकार किया कि वे ऑटो में राहगीरों को बैठाकर सुनसान स्थानों पर ले जाते थे तथा उन्हें जान-माल की धमकी देकर मोबाइल फोन एवं नकदी लूट लेते थे। **गिरफ्तार/ संरक्षण में लिए गए-**

1. सुमित शर्मा पुत्र राम अवतार शर्मा नि0 हरिओम नगर निकट नव दुर्गा मन्दिर थाना मडियांव लखनऊ, मूलपता ग्राम ज्योतिसाह आलमपुर ब्लाक कसमण्डा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर उम्र 21 वर्ष
2. बाल अपचारी किशोर (उम्र लगभग 15 वर्ष)।
3. बाल अपचारी किशोर (उम्र लगभग 15 वर्ष)।

पकड़े गये व्यक्तियो को उनके विधिक अधिकारो से अवगत कराते हुए उनके द्वारा कारित जुर्म धारा 303(2)/309(4)/351(2)/317(2)/317(4)/3(5) बीएनएस से अवगत कराते हुए अभियुक्त सुमित शर्मा उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए आईआईएम रोड सर्विस लेन के पास थाना मडियांव क्षेत्र से समय 19.45 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। दोनों किशोर को उपरोक्त को सादे वस्त्रो में पुलिस की निगरानी में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी/ बरामदगी कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध करने का तरीका (Modus Operandi):-

ऑटो ईरिक्शा में राहगीरों को बैठाकर सुनसान स्थानों पर ले जाते थे तथा उन्हें जान-माल की धमकी देकर मोबाइल फोन एवं नकदी लूट लेते थे।

03- अनावरित अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 324/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ
2. मु0अ0सं0 338/2026 धारा 309(4)/351(2) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ
3. मु0अ0सं0 341/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना मडियांव लखनऊ

04- गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/व्यवसाय :-

1. सुमित शर्मा पुत्र राम अवतार शर्मा नि0 हरिओम नगर निकट नव दुर्गा मन्दिर थाना मडियांव जनपद लखनऊ, मूलपता ग्राम ज्योतिसाह आलमपुर ब्लाक कसमण्डा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर उम्र 21 वर्ष (व्यवसाय- साइकिल वर्क्स का काम)
2. बाल अपचारी किशोर (उम्र लगभग 15 वर्ष) (व्यवसाय- साइकिल मैकेनिक)
3. बाल अपचारी किशोर (उम्र लगभग 15 वर्ष) (व्यवसाय- आटो ईरिक्शा चालक)

05- बरामदगी का विवरण:-

- लूट का 01 मोबाइल फोन (ओप्पो)
- चोरी का 01 मोबाइल फोन (रियलमी)
- घटना से संबंधित रू0 3,100/- नकद
- घटना में प्रयुक्त ऑटो ईरिक्शा संख्या UP32RT3647

05-अभियुक्त सुमित शर्मा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

01-मु0अ0सं0 715/2025 धारा 309(6),351(2),317(2)/311 बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना मडियांव लखनऊ

06- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 नितिन कुमार
2. उ0नि0 हेमेन्द्र सिंह
3. उ0नि0 जोशी रघुवंशी
4. उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार गौड़
5. हे0का0 संदीप कनौजिया
6. का0 मंजीत सिंह
7. हे0का0 कमलेश वर्मा (सादे वस्त्रो में)
8. का0 सचिन कुमार (सादे वस्त्रो में)

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1190..

दिनांक-17.07.2026

जोन-उत्तरी/थाना- मलिहाबाद

➢ **थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल चोरी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री हरिशंकर रावत पुत्र स्व0 गया प्रसाद निवासी ग्राम कटौली, पोस्ट व थाना काकोरी, लखनऊ द्वारा थाना मलिहाबाद पर सूचना दी गयी थी कि दिनांक 28.05.2026 को श्री हॉस्पिटल, कसमण्डी कला के बाहर खड़ी उनकी मोटरसाइकिल पैशन प्रो सं0-UP32HY2969 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया था। उक्त सूचना के आधार पर थाना मलिहाबाद पर मु0अ0सं0 118/2026, धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि दिनांक 11.06.2026 को थाना ठाकुरगंज पुलिस द्वारा एक अन्य अभियोग/प्रकरण में अभियुक्तगण मोहित सिंह एवं सलमान को गिरफ्तार किया गया था। उक्त प्रकरण में उनके कब्जे से वादी की चोरी गई मोटरसाइकिल सं0- UP32HY2969 बरामद हुई थी। बरामदगी के आधार पर थाना मलिहाबाद के मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय से जमानत प्राप्त होने के उपरांत अभियुक्त सलमान व मोहित सिंह इस मुकदमे में वांछित चल रहे थे।

इसी क्रम में दिनांक 16.07.2026 को थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण, अपराध नियंत्रण एवं प्रकाश में आये अभियुक्तों की तलाश के दौरान अभियुक्त सलमान पुत्र मोहम्मद कलाम निवासी अंसार नगर, गुलाब नगर, मोअज्जम नगर, थाना सआदतगंज, लखनऊ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया तथा उसके परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही निरन्तर जारी है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त **सलमान** पुत्र मोहम्मद कलाम ने बताया कि उसने अपने साथी **मोहित सिंह** पुत्र चक्रपाल सिंह निवासी हर्षपुरम कॉलोनी, कैम्पवेल रोड, थाना सआदतगंज, लखनऊ के साथ मिलकर दिनांक **28.05.2026** को **श्री हॉस्पिटल, कसमण्डी कला** के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल संख्या **UP32HY2969** चोरी की थी।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0 118/2026, धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस., थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01-सलमान पुत्र मोहम्मद कलाम नि0-अंसारनगर, गुलाबनगर, मोअज्जमनगर, थाना- सआदतगंज, लखनऊ उम्र 19 वर्ष ।

05-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना मलिहाबाद लखनऊ

1. उ0नि0 विन्ध्य कुमार यादव,
2. का0 संजय कुमार,

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1191
दिनांक-17/07/2026

जोन-उत्तरी/थाना- मलिहाबाद

➢ ¬ **थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण

माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंटों (NBW) के अनुपालन में थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 17.07.2026 को थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण, अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, शान्ति एवं कानून व्यवस्था ड्यूटी तथा वारण्टी अपराधियों की तलाश के दौरान थाना क्षेत्र मलिहाबाद के ग्राम कसमण्डी खुर्द व अमानीगंज में दबिश देकर 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण में प्रथम वारण्टी निरंजन सिंह यादव पुत्र स्व0 बुद्धा के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत NBW वाद सं0 4049/13, अ0सं0 426/13, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मलिहाबाद से सम्बन्धित था, जिसे उसके आवास से दिनांक 17.07.2026 को गिरफ्तार किया गया।

द्वितीय वारण्टी मदन पुत्र स्व0 नन्हेलाल के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत NBW वाद सं0 42/12, अ0सं0 39/11, धारा 323/504 भादवि थाना मलिहाबाद से सम्बन्धित था, जिसे उसके आवास से दिनांक 17.07.2026 को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार वारण्टीगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही निरन्तर जारी है।

02-अनावरित अभियोग का विवरण -

1. वाद सं0- 4049/13, अ0सं0- 426/13, धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ।
2. वाद सं0- 42/12, अ0सं0- 39/11, धारा- 323/504 भादवि, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय •

1. निरंजन सिंह यादव पुत्र स्व0 बुद्धा, निवासी अमानीगंज मजरा कसमण्डी खुर्द, थाना मलिहाबाद, लखनऊ, उम्र करीब 63 वर्ष।(व्यवसाय – कृषि/मजदूरी)
2. मदन पुत्र स्व0 नन्हेलाल नि0-कसमण्डी खुर्द, थाना मलिहाबाद लखनऊ, उम्र 45 वर्ष।(व्यवसाय – कृषि/मजदूरी)

04-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना मलिहाबाद लखनऊ

1. उ0नि0 शनि तोमर, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. रि0का0 अंकित कुमार सिंह, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. का0 मुकेश यादव, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1193

दिनांक-17.07.2026

जोन पूर्वी/ थाना चिनहट

आपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना चिनहट लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन शाखा के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 314/22 धारा 376AB भा0द0वि0 व 5ड/6 पाक्सो एक्ट थाना चिनहट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर चलाये जा रहे के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमि0लखनऊ महोदय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशन में, पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा श्रीमती ममता रानी चौधरी के पर्यक्षेपण में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालय मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) डॉ0 दीक्षा शर्मा के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) डॉ0 अमोल मुर्कुट तथा सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड श्रीमती सौम्या पाण्डेय के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक चिनहट श्री दिनेश चन्द्र मिश्र के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार हे0का0 मनोज कुमार और का0 सौरभ कुमार(पैरोकार) के अथक प्रयास व कुशल प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय पाक्सो एक्ट-3 जनपद लखनऊ महोदय द्वारा दिनांक 16.07.2026 को वाद सं0–1461/2022 मु.अ.सं.- 314/2022 धारा -376AB भा0द0वि0 व 5ड/6पाक्सो एक्ट थाना चिनहट में निर्णायक फैसला दिया गया। अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभियुक्त अमित बाल्मिकी पुत्र जीवन बाल्मिकी निवासी सेहाली थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रू. अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्त/ सम्बन्धित अभियोग-

01.अमित बाल्मिकी पुत्र जीवन बाल्मिकी निवासी सेहाली थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी ।

विवरण सजा -

क्र.सं.	मु.अ.सं.	धारा	थाना/जनपद	सजा
1.	314/2022	धारा-376AB भा.द.वि. व 5ड/6 पाक्सो एक्ट	थाना-चिनहट लखनऊ	20 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रू अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास

फैसला- अभियुक्त उपरोक्त को मुकदमा उपरोक्त में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि करते हुये 20 वर्ष का कारावास व 50,000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पैरवीकर्ता-

01-प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश चन्द्र मिश्र थाना चिनहट लखनऊ

02-हे0का0 मनोज कुमार (पैरोकार) थाना चिनहट लखनऊ

03-का0 सौरभ कुमार(पैरोकार) थाना चिनहट जनपद लखनऊ।